CENTRE for e-GOVERNANCE U.P.
1st Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश (उ.प्र. सरकार की समिति)
प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
फोन/फैक्स : 0522–2304706, वेबसाइट : www.upite.gov.in/ceg ई-मेल : ceglko.up@gmail.com

CEG/P/9/15/30/2023 Temp
21.7.2023

सेवा में,

1- मण्डलायुक्त,
समस्त मण्डल, उ0प्र0।

2- जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

विषयः- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से युवा कल्याण एवम् प्रान्तीय रक्षक दल विभाग की सेवाओं को आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-30/2022 /1313/78-2-2022- ई-268634 दिनांक 17.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रदेश सरकार की जो भी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, उन सेवाओं को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट कराते हुए आम जनमानस को सीधे इन्टरनेट एवं जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। तत्क्रम में युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के ईमेल दिनांक 13.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुये आम जनमानस को प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि आम जनमानस से सम्बन्धित सेवाओं, जिनमें जनहित गारण्टी अधिनियम, उ0प्र0 के अन्तर्गत सेवायें भी सम्मिलित है, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट किया जाना प्रदेश सरकार

की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में आम जनमानस को प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से 44 विभागों की 282 शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, जिसका अनुश्रवण निरंतर उच्च स्तर पर किया जा रहा है।

3- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग की निम्न सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेट करते हुये स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से पोर्टल पर इंटीग्रेटेड रूप में आम जनमानस को उपलब्ध करा दी गयी हैं:-

1	Mangal Dal Registration
2	Registration for event participation

4- प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा उक्त संदर्भित सेवा को आम जनमानस को उपलब्ध कराये जाने पर विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

5- उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों के सम्बन्ध में युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही उसी तरह की जायेगी, जिस तरह वे वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल (http://prdyk.upsdc.gov.in/#/Home) पर कर रहे हैं।

6- उपरोक्त सेवायें आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-19/2020/1085/78-2-2020-34आई.टी./2010, दिनांक 22.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) में निर्धारित यूजर चार्जेज की शुल्क धनराशि रू0 30.00 जन सेवा केन्द्रों द्वारा आम जनमानस से प्राप्त की जायेगी, जोकि विभागीय व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त धनराशि का अंश विभाजन निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	सेवा	यूज़र चार्ज़ का अंश विभाजन (रू0)				
1	विभाग की सेवा	डी.एस.पी./ वी.एल.ई.	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस.	सी.ई.जी.	कुल यूज़र चार्ज़ (रू0)
		15	03	10	02	30

7- उक्त के क्रम में आवेदक के अनुरोध पर जन सेवा केन्द्रों के अधिकृत जन सेवा केन्द्र संचालक (वी.एल.ई.) द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (https://edistrict.up.gov.in) के माध्यम से युवा

कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के पोर्टल (http://prdyk.upsdc.gov.in/#/Home) पर दी गयी आवेदन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुये सेवा प्रदान की जायेगी।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by Akshay Tripathi
Date: 21-07-2023 11:28:24
Reason: Approved

(अक्षय त्रिपाठी)
राज्य समन्वयक

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-</u>

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ।
2. अ□र मुख्य सचिव, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सेवाओं के सम्बन्ध में विभागीय शासनादेश निर्गत कराने का कष्ट करें तथा उ□रोक्त सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट सिटीजन □ोर्टल से भी इंटीग्रेट करायें।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
5. श्री शैलेष श्रीवास्तव, सीनियर डायरेक्टर, आई.टी., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उ□रोक्त सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट □ोर्टल □र प्रदर्शित करायें।
6. समस्त डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.□ी.) संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित कि उनके द्वारा □र्यावरण, वन एवं जलवायु □रिवर्तन विभाग की सेवाओं को अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से करते हुये आम जनमानस को सेवायें उ□लब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. मै0 मार्गसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, लखनऊ।

(अक्षय त्रि□ाठी)
राज्य समन्वयक